2026/88

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री महावीरसिंह देवड़ा पुत्र श्री हरिसिंह
निवासी वाडका तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

उपतहसीलदार
कैलाश नगर

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 06 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.03.2026	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार कैलाशनगर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 301/2026 अन्तर्गत धारा 90ए/91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार कैलाशनगर से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने हेतु पेश किया। जिस पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि उक्त प्रकरण में नोटिस जारी करने से पूर्व ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रार्थी को यह कहा गया कि वह प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही को बढाकर दावा पेश करेंगे तथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। अतः प्रार्थी को विश्वास है कि प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही कर आदेश पारित किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा किए गए कथनों का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त प्रकरण में नोटिस जारी करने से पूर्व ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रार्थी को यह कहा गया कि वह प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही को बढाकर दावा पेश करेंगे तथा कठोर कार्यवाही की जाएगी, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि न्यायपालिकाओं में निजी हस्तक्षेप से परे जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा आदेश पारित किया जा सकता है। यदि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं भी होता है, तो उसके पास उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का भी विकल्प मौजूद है और वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner